31/08/2020

आज यह पत्रावली वादीगण सं. 1, 2, 5 ता 7 की ओर से वकील श्री प्रहलाद जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र दावा खारिज किया करने का पेश करने पर पेशी में ली गई। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण का मुख्त्यारआम श्री प्रद्युमन सिंह द्वारा न्यायालय हाज़ा में यह दावा व प्रार्थना पत्र (T.I.) प्रस्तुत कर T.I. जारी करवा ली है जिस हेतु वादीगण द्वारा उसे नहीं कहा गया था। मुख्त्यारआम प्रद्युमन सिंह पुत्र प्रतापसिंह की स्व मनमर्जी की वजह से उनके (वादीगण) द्वारा उक्त मुख्त्यारआम निरस्त करवा दिया है। वादीगण इस प्रकरण दावा व प्रा.पत्र (T.I.) को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः खारिज किया जावे क्योंकि वादग्रस्त भूमि चक प्लान में चले जाने के बाद उसके नये ~~खसरा~~ नम्बर चक 7 DKM के मु.नं. 77/20, 77/28 में कुल भूमि क्रमशः 4 ता 7, 14 ता 17, 24 (8.18 बीघा) व 1, 2, 9 ता 12, 19, 20 (8 बीघा) कुल 16 बीघा 18 बिस्वा बने। उक्त रकबा वादीगण [illegible] साटे निष्पादन पत्र दिनांक 14.03.2020 [illegible] अनुसार यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2020.09.23 12:10:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पुत्र रेवन्तसिंह व दिलीप पुरी पुत्र ईश्वर पुरी के विक्रय कर दी, जिसका नामा० सं० 89 दिनांक 16/07/2010 स्वीकृत भी हो चुका है। इस प्रकार वादीगण का कोई रकबा चक प्लान में आने से नहीं बचा है। चूंकि उपरोक्त बाद्यात रकबा राजस्व रिकॉर्ड में खसरा भूमि आज भी वादीगण के नाम से चल रही है जोकि गलत है। बाद्यात रकबा पर चक प्लान में जाने का नोट अंकित नहीं नहीं है, जिसे अंकित करवाया जावें ताकि अन्य कोई पेचिदगीयां नहीं बढ़े। अतः उपरोक्त वाद पत्र जरिये विड्राल खारिज फरमाया जावें और राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित रकबा चक प्लान में जाने का नोट भी अंकित करने का आदेश तहसीलदार बीकानेर को प्रदान किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत प्रा०पत्र में वर्णित तथ्यों व इसके समर्थन में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड की छायाप्रतियों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण में से वादी सं० 1, 2, 5 व 7 द्वारा बाद्यात भूमि के हक में जारी मुख्त्यार आम को (प्रद्युम्न सिंह) निरस्त कर दिया है तथा इस वाद पत्र व इससे सम्बंधित प्रा०पत्र को गलत मंशा से न्यायालय में प्रद्युम्न सिंह द्वारा प्रस्तुत किए जाने का कथन किया है। अतः आज उक्त वादीगण ने स्वयं (वादी) उपस्थित होकर इस दावा व इसके संलग्न प्रा०पत्र को आगे नहीं चलाने का जिक्र किया है और दावा व प्रा०पत्र को जरिये विड्राल खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अतः वादीगण सं० 1, 2, 5 व 7 का निवेदन स्वीकार किया जाता है क्योंकि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 के प्रस्तुत किया है, तथा उपस्थित वादीगण के अनुसार उनका या अन्य वादीगण का कोई हक व हिस्सा इसमें नहीं, भविष्य [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अंकन से वंचित रहे ना

Signatur
Digitally si
Date: 202
Reason: S

तारीख	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की वजह से अनावश्यक विवाद को बढ़ावा मिले ऐसा उपस्थित वादीगण व उनके वकील नहीं चाहते हैं जिसके कारण वाद पत्र दर्ज होने पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील शामिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर बीकानेर शहर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2020.09.23 12:10:50 IST
Reason: SelfAttested